

सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद- आजमगढ़/मऊ/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 29.05.2025

जनपद आजमगढ़

01. थाना अहरौला: अवैध 02 तमंचा, 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

1- अवगत कराना है कि आज दिनांक 28.5.2025 को वरिष्ठ उप निरीक्षक कुलदीप सिंह मय हमराह उ0नि0 वीरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम गढ़ा स्कूल के पास से एक व्यक्ति राम अनुज गिरी पुत्र कतवारु गिरी निवासी विशुनपुरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को एक अदद तमन्चा .315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा .315 बोर को समय करीब 4.55 बजे सुबह हिरासत पुलिस मे लिया गया बरामदगी के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 206/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

2- अवगत कराना है कि आज दिनांक 28.5.2025 को वरिष्ठ उप निरीक्षक कुलदीप सिंह मय हमराह उ0नि0 वीरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम विशुनपुरा पास से एक व्यक्ति अनुज गिरी पुत्र कतवारु गिरी निवासी विशुनपुरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को एक अदद तमन्चा .315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा .315 बोर को समय करीब 4.55 बजे सुबह हिरासत पुलिस मे लिया गया। बरामदगी के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 207/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 206/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

2- मु0अ0सं0 207/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- राम अनुज गिरी पुत्र कतवारु गिरी निवासी विशुनपुरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष

2- राज मंगल गिरी पुत्र स्व0 चन्द्रिका गिरी निवासी शमसाबाद थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- व0उ0नि0 कुलदीप सिंह, उ0नि0 वीरेन्द्र बहादुर सिंह, उ0नि0 उदय शंकर तिवारी, का0 लालजी यादव, हे0का0 राकेश कुमार सिंह, हे0का0 जयप्रकाश यादव व हे0का0 हरिश्चन्द्र भाष्कर, थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

जनपद –मऊ

1.चोरी की 03 अदद साउन्ड डीजे मशीन के साथ 02 शातिर चोर गिरफ्तार, 01 बाल अपचारी अभिरक्षा में-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.05.2025 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर सोफीगंज आरसीसी मार्ग के पास से मु0अ0सं0 223/25 धारा 331(4), 305 बीएनएस से संबंधित प्रकाश में आये अभियुक्तगण विशाल चौहान पुत्र पूर्णवासी, संदीप चौहान पुत्र रामप्रवेश चौहान निवासीगण माहपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ व 01 नफर

बालअपचारी पुलिस अभिरक्षा में जिनके कब्जे से चोरी की 03 अदद साउण्ड डीजे का मशीन बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 217(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. विशाल चौहान पुत्र पूर्णवासी निवासी माहपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ ।
2. संदीप चौहान पुत्र रामप्रवेश चौहान निवासी माहपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ ।
3. 01 नफर बालअपचारी पुलिस अभिरक्षा में ।

संबंधित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 223/25 धारा 331(4), 305, 217(2) बीएनएस थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ ।

बरामदगी-

1. चोरी की 03 अदद साउण्ड डीजे का मशीन ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सरफराज खान थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ
2. हे0 का0 जितेन्द्र कुमार पाण्डेय थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ
3. का0 रवि पाल थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ
4. का0 राजेश पटेल थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ
5. का0 राम किशोर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ ।

जनपद – बलिया

1. थाना कोतवाली जनपद बलिया पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार । अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी बलिया श्री कृपा शंकर के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्यामकान्त के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम को मिली सफलता ।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 28.05.2025 को थाना कोतवाली पुलिस टीम के उ0नि0 आदर्श श्रीवास्तव मय हमराह के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम एवं चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में मामूर थे कि चेकिंग के दौरान मुखविर की सूचना पर मुहम्मदपुर दियर की तरफ से आ रहे 01 व्यक्ति को निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे पुलिया के पास से हिरासत पुलिस में लिया गया । जिसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ करने पर अपना नाम शनी कुमार कन्नौजिया पुत्र जयराम कन्नौजिया निवासी जमुना पुरानी बस्ती थाना कोतवाली जनपद बलिया उम्र 19 वर्ष बताया । उपरोक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अं0सं0- 0211/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया, अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 0211/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली जनपद बलिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त विवरण-

1. शनी कुमार कन्नौजिया पुत्र जयराम कन्नौजिया निवासी जमुना पुरानी बस्ती थाना कोतवाली जनपद बलिया उम्र 19 वर्ष
बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर

2. 01 अदद जिन्दा कारतूस ।

02. पुलिस मुठभेड़ में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर मय 02 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस तथा 01 अदद मो0सा0 अपाचे कि गयी बरामद ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये चलाये जा रहे अभियान क्रममें थाना कोतवाली पुलिस टीम को मिली सफलता ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.05.2025 समय 18.00 बजे श्री शिवजी गुप्ता पुत्र मिथिलेश गुप्ता निवासी बेदुआ बन्धा थाना कोतवाली जनपद बलिया द्वारा खुद के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर करने वाले रोहित चन्द्र पाण्डेय पुत्र उमेश चन्द्र पाण्डेय निवासी सतनी सराय भृगु आश्रम थाना कोतवाली जनपद बलिया के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देकर थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 190/2025 धारा 109(1), 352, 351(3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया था । मुकदमा के आधार पर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम बनाकर लगातार प्रयास किया जा रहा था ।

इसी क्रम में दिनांक 27.05.2025 को कोतवाली पुलिस टीम के अपराध निरीक्षक श्री बिजेन्द्र सिंह मय हमराह थाना टीम पर चैकिंग के दौरान अभियुक्त रोहित चन्द्र पाण्डेय पुत्र उमेश चन्द्र पाण्डेय निवासी सतनी सराय भृगु आश्रम थाना कोतवाली जनपद बलिया द्वारा पुलिस टीम पर ददरी मेला क्षेत्र में अवैध असलहे से जान से मारने की नीयत से हमला किया गया जिसमें पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ कार्यवाही के दौरान अभियुक्त रोहित चन्द्र पाण्डेय उपरोक्त के पैर में गोली लगने से घायल हो गया है, जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर मय 02 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस तथा 01 अदद मो0सा0 अपाचे बरामद की गयी। अभियुक्त रोहित चन्द्र पाण्डेय को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। तथा अभियुक्त रोहित चन्द्र पाण्डेय उपरोक्त के दो साथी आशुतोष यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासी राजपूत नेवरी भृगु आश्रम थाना कोतवाली जनपद बलिया 2. आशु यादव पुत्र अज्ञात निवासी जमुआ थाना कोतवाली जनपद बलिया मौके से भाग निकले है। उपरोक्त प्रकरण में प्रकाश में आयी महिला अभियुक्त सोनी पुत्री स्व०भोलू सिंह निवासी बेदुआ थाना कोतवाली जनपद बलिया को दिनांक 28.05.2025 को गिरफ्तार किया गया। जिसके उकसाने पर अभियुक्त रोहित चन्द्र पाण्डेय उपरोक्त द्वारा मुकदमा वादी श्री शिवजी गुप्ता उपरोक्त पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया था। अभियुक्त रोहित चन्द्र पाण्डेय उपरोक्त का महिला अभियुक्त सोनी से प्रेम प्रसंग है। थाना स्थानीय द्वारा अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०स० 190/2025 धारा 109(1), 352, 351(3) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद बलिया

2. मु०अ०स०- 0212/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली जनपद बलिया

पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रोहित चन्द्र पाण्डेय उर्फ रवि प्रकाश पाण्डेय उर्फ रंजीत पाण्डेय उर्फ शोलू पाण्डेय उर्फ लाली पाण्डेय पुत्र उमेश चन्द्र पाण्डेय निवासी सतनी सराय भृगु आश्रम थाना कोतवाली जनपद बलिया उम्र करीब 24 वर्ष ।

अभियुक्त रोहित चन्द्र पाण्डेय का अपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०स० 506/22 धारा 307, 324, 34 भादवि० व धारा 4/25 आयुद्ध अधि० थाना कोतवाली जनपद बलिया।

2. मु०अ०स० 656/22 धारा 308/323/325/504/506 भादवि० थाना कोतवाली जनपद बलिया।

3. मु०अ०स० 214/23 धारा 379,411,413,414,467,468,471 भादवि० व 9 आयुद्ध अधि० थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया।

4. मु०अ०स० 15/25 धारा 110/115(2), 118(1)3(5) बीएनएस थाना हल्दी जनपद बलिया ।

5.मु0अ0सं0 190/2025 धारा 109(1), 352, 351(3), बीएनएस व धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना कोतवाली जनपद बलिया।
प्रकाश में आयी गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

1.सोनी पुत्री स्व0 भोलू सिंह निवासी बेदुआ थाना कोतवाली जनपद बलिया उम्र करीब 24 वर्ष
बरामदगी का विवरण-

1. घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर
2. 02 अदद खोखा कारतूस
3. 01 अदद जिन्दा कारतूस ।
4. घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल।

03. थाना कोतवाली बांसडीह जनपद बलिया पुलिस द्वारा नाबालिग अप्रहता को बहला फुसलाकर शादी के प्रयोजन से भगाकर ले जाने वाला 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया श्री ओमवीर सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों तथा लापता बच्चियों की बरामदगी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी जनपद बलिया श्री अनिल कुमार झा के निकट पर्यवेक्षण में, व क्षेत्राधिकारी बांसडीह श्री प्रभात कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 126/25 धारा 87/137(2)/351(2)/69 बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एकट पीड़िता उम्र करीब 15 वर्ष को मुहम्मद अलाउद्दीन पुत्र मुहम्मद लल्लू निवासी ग्राम केवरा थाना बांसडीह जनपद बलिया द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त कि गिरफ्तारी हेतु टीम गठीत किया गया था ।

इसी क्रम में थाना प्रभारी कोतवाली बांसडीह श्री संजय सिंह के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर गठित टीम एवं टीम सर्विलांस के सहयोग तथा सुरागरसी पतारसी के माध्यम से पीड़िता उम्र 15 वर्ष व आरोपी मुहम्मद अलाउद्दीन उम्र 26 वर्ष को जनपद बस्ती स्थित होटल के पास से पहचान के उपरान्त हिरासत में लिया गया । विस्तृत पूछताछ के बाद इन्हे थानाहाजा लाया गया । विवेचना से आरोपी मुहम्मद अलाउद्दीन पर धारा 87/137(2)/351(2)/69 बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एकट का पर्याप्त साक्ष्य है । साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त मुहम्मद अलाउद्दीन को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 126/25 धारा 87/137(2)/351(2)/69 बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एकट बीएनएस थाना बांसडीह जनपद बलिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.मुहम्मद अलाउद्दीन पुत्र मुहम्मद लल्लू निवासी ग्राम केवरा थाना बांसडीह जनपद बलिया उम्र 26 वर्ष ।

4. पुलिस मुठभेड़ मे 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद नाजायज पिस्टल .32 बोर

मय 01 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस तथा 01 अदद मो0सा0 पल्सर किया गया बरामद

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये चलाये जा रहे अभियान में थाना कोतवाली पुलिस टीम को मिली सफलता ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.05.2025 समय 08.30 बजे मजरुब श्री अरुण गुप्ता पुत्र स्व0 बृज किशोर निवासी कासिम बाजार थाना कोतवाली जनपद बलिया के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर करने के संबंध में मोटर साइकिल सवार अज्ञात व्यक्तियों रोहित पुत्र अज्ञात 2. अमित गुप्ता पुत्र अज्ञात 3. अभिषेक सोनी पुत्र अज्ञात 4. अभिषेक सेठ पुत्र अज्ञात निवासीगण जापलिनगंज थाना कोतवाली जनपद बलिया के विरुद्ध मजरुब की पुत्री मुकदमा वादिनी निवासी वार्ड नं0 20 अरुण

मेडिकल स्टोर कासिम बाजार चौक थाना कोतवाली जनपद बलिया द्वारा प्रार्थना पत्र देकर थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 194/2025 धारा 109(1), बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

इसी क्रम में मुकदमा के आधार पर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम बनाकर लगातार प्रयास किया जा रहा था। दौरान विवेचना सीसीटीवी फुटेज, वैज्ञानिक साक्ष्यों एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर प्रकाश में आये अन्य अभियुक्तगण 1. मुकेश कुमार सिंह उर्फ अंशु सिंह उर्फ रुद्रा सिंह पुत्र दिलिप सिंह निवासी पियरौटा थाना रेवती जनपद बलिया 2. रोहित वर्मा उर्फ सरल पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी देवरिया खुर्द थाना फेफना जनपद बलिया को दिनांक 28.05.2025 को प्रभारी निरीक्षक श्री योगेन्द्र बहादुर सिंह थाना कोतवाली बलिया मय हमराह थाना टीम पर चैकिंग के दौरान अभियुक्त मुकेश कुमार सिंह उर्फ अंशु सिंह उर्फ रुद्रा सिंह पुत्र दिलिप सिंह निवासी पियरौटा थाना रेवती जनपद बलिया द्वारा पुलिस टीम पर माल्देपुर मोड ग्रीन फील्ड के पास अवैध असलहे से जान से मारने की नीयत से हमला किया गया जिसमे पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ कार्यवाही के दौरान अभियुक्त मुकेश कुमार सिंह उर्फ अंशु सिंह उर्फ रुद्रा सिंह उपरोक्त के पैर में गोली लगने से घायल हो गया है, जिसके कब्जे से 01 अदद नाजायज पिस्टल .32 बोर मय 01 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस तथा 01 अदद मो0सा0 पल्सर बरामद की गयी। अभियुक्त मुकेश कुमार सिंह उर्फ अंशु सिंह उर्फ रुद्रा सिंह को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। तथा अभियुक्त मुकेश कुमार सिंह उर्फ अंशु सिंह उर्फ रुद्रा सिंह उपरोक्त का साथी रोहित वर्मा उर्फ सरल पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी देवरिया खुर्द थाना फेफना जनपद बलिया मौके से भाग निकला है। तथा इसी क्रम में प्रकाश में आये अभियुक्त अखिलेश कुमार गुप्ता उर्फ पप्पू गुप्ता पुत्र स्व0 कन्हैया प्रसाद निवासी कासिम बाजार थाना कोतवाली जनपद बलिया को दिनांक 28.05.2025 को गिरफ्तार किया गया। घटना में अब तक सीसीटीवी फुटेज, वैज्ञानिक साक्ष्यों एवं मुखबिर की सूचना पर यह तथ्य प्रकाश में आये है, कि अभियुक्त अभिषेक गुप्ता सेठू पुत्र अखिलेश कुमार गुप्ता निवासी कासिम बाजार थाना कोतवाली जनपद बलिया द्वारा अपने पिता अखिलेश कुमार गुप्ता तथा अपने साथी रोहित व अमित गुप्ता के साथ मिलकर संपत्ति के विवाद को लेकर 1. मुकेश कुमार सिंह उर्फ अंशु सिंह उर्फ रुद्रा सिंह पुत्र दिलिप सिंह निवासी पियरौटा थाना रेवती जनपद बलिया 2. रोहित वर्मा उर्फ सरल पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी देवरिया खुर्द थाना फेफना जनपद बलिया को मुकदमा पीडित अरुण कुमार गुप्ता को जान से मारने की लिए रुपये दिये थे। तथा घटना कारित करने के उपरान्त दोनों को 01 मारूती कार व एक-एक सोने की चैन देने का वादा किया था। थाना स्थानीय से अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०स० 194/2025 धारा 109(1) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद बलिया
2. मु०अ०स०- 0213/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली बलिया

पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मुकेश कुमार सिंह उर्फ अंशु सिंह उर्फ रुद्रा सिंह पुत्र दिलिप सिंह निवासी पियरौटा थाना रेवती जनपद बलिया उम्र करीब 34 वर्ष।

अभियुक्त मुकेश कुमार सिंह का अपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०स० 6333/2014 धारा 147,323,427,452,504,506 भादवि० थाना रेवती जनपद बलिया।
2. मु०अ०स० 6336/2014 धारा 147,323,427,452,504,506 भादवि० थाना रेवती जनपद बलिया।
3. मु०अ०स० 209/2017 धारा 323,504,506 भदावि० थाना बैरिया जनपद बलिया।
4. मु०अ०स० 194/2025 धारा 109(1) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद बलिया।

प्रकाश में आये गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अखिलेश कुमार गुप्ता उर्फ पप्पू गुप्ता पुत्र स्व० कन्हैया प्रसाद निवासी कासिम बाजार थाना कोतवाली जनपद बलिया उम्र करीब 55 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध पिस्टल .32 बोर

2. 01 अदद खोखा कारतूस
3. 01 अदद जिन्दा कारतूस।
4. घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल ।